Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	8b6ccdf9de7f9200f7a5
Receipt Date :	23-Mar-2023 04:25:11 pm
Receipt Amount :	20/-
Amount In Words :	Twenty Rupees Only
Document Type :	Partition
District Name :	Koderma
Stamp Duty Paid By :	Sunil Kumar Sharma
Purpose of stamp duty paid :	Partition
First Party Name :	Anil Kumar Sharma
Second Party Name :	Sunil Kumar Sharma
GRN Number :	2316364862

S. K. PRADHAN 23/03/2023

...can be verified in the jharnibandhan site through ...

10

This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document.The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint,photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act,1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अनिल कुमार शर्मा
Anil Kumar Sharma

सुनिल शर्मा

आपसी बंटवारानामा

प्रथम पक्षः— अनील कुमार शर्मा पिता श्री बाबुलाल शर्मा, उम्र 37 वर्ष, धर्म—हिन्दू, राष्ट्रीयता— भारतीय, पेशा—नौकरी, साकिन—इंदरवा, पोस्ट—इंदरवा, थाना—कोडरमा, जिला— कोडरमा।

द्वितीय पक्षः— सुनील कुमार शर्मा पिता श्री बाबुलाल शर्मा, उम्र 42 वर्ष, धर्म—हिन्दू, राष्ट्रीयता— भारतीय, पेशा—गृहस्थी, साकिन—इंदरवा, पोस्ट—इंदरवा, थाना—कोडरमा, जिला— कोडरमा।

लेख्य प्रकारः— आपसी बंटवारानामा।

सम्पति का विवरणः— मौजा—गुमो, थाना—तिलैया, थाना नं0—12, जिला—कोडरमा अंदर खाता नं0—174, प्लॉट नं0—5840 रकवा 08 डी0 जमीन को आपसी सहमति से बंटवारा करते हैं।

विवरणः—

उक्त दोनों पक्षकार आपस में भाई है तथा एक हीं वंश के वंशज हैं तथा आज तक पूर्व से उक्त केवाला कि जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है तीनों पक्षों ने आपसी सहमति से से उक्त केवाला की जमीन का आपस में बंटवारा करना मुनासिब समझे। जिसे मूलतः तीन भागों में बंटवारा करते हैं। उक्त बंटवारा सभी पक्षकारगण आपसी सहमति से आपस में मिल बैठकर किये एवं सपरिवार सहर्ष मंजूर किये, भविष्य में किसी तरह का कोई वाद—विवाद न हो इसके लिए आज दिनांक 23.03.2023 को निम्न शर्त वो सरायत के आधार पर बंटवारानामा निष्पादित करते हैं तो इस प्रकार है :—

शर्तः—

1. यह कि तीनों पक्षकार आपस में एकमत हो मौजा—गुमो, थाना—तिलैया, थाना नं0—12, जिला—कोडरमा अंदर खाता नं0—174, प्लॉट नं0—5840 रकवा 08 डी0 जमीन सभी की माँ देवन्ती देवी पति बाबुलाल शर्मा के नाम से केवाला से हासिल जिसका केवाला सं0—4948

Anil Kumar Sharma

अनिल कुमार शर्मा

दिनांक 21.06.1993 ई0 है। जिसे मैं (देवन्ती देवी) अपने तीनों पुत्रों को बराबर–बराबर 2.66 डी0 बांट कर दे दी।

2. यह कि हमलोग तीन भाई है जिसमें विनोद शर्मा में अपने हिस्से कि जमीन चांद रतन यादव, लेख्यप्रमाणक, कोडरमा द्वारा अनिल कुमार शर्मा को बिक्री कर दिये जिसका सिरिसल नं0–32 दिनांक 05.09.2017 है, जिस कारण प्रथम पक्ष अनील शर्मा का हिस्सा 5.33 डी0 हुआ तथा द्वितीय पक्ष का हिस्सा 2.66 डी0 हुआ।

3. यह कि बंटवारा में पडे हिस्से पर दोनों पक्षकार शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में रहेंगें, कोई किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें यदि करते हैं तो कानूनन दोषी समझे जायेंगें। उक्त बंटवारा के उपरांत दोंनों पक्षकारगण अपने–अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग वो उपभोग अपने तरीके से करने को स्वतंत्र होंगें।

4. यह कि अपने हक हिस्से की जमीन समय जरूरी पर यदि किन्ही पक्षकार को बिक्री करने की आवश्यकता होगी तो पक्षकारगण आपस में मिलकर तथा एक–दूसरे के सहमति से केवाला करेंगें।

उपरोक्त बंटवारानामा की सभी शर्तो को पढ तथा पढवाकर सुन समझ लिया तथा सभी बातें सहीं पाकर गवाहों के समक्ष आज दिनांक 23.03.2023 को अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये जो समय पर काम आवे। कोई भी भाई एक–दूसरे के हिस्से का दखल नहीं करेंगें।

गवाहों का हस्ताक्षर

1. विनोद, शर्मा

2.

Anil Kumar Sharma

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

अनिल कुमार शर्मा

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

सुनिल शर्मा

Sri/Smt ....Anil K. Sharma & Sunil K. Sharma
Who is identified by .... Adv.
Solemnly affirmed before me
23/03/2023
NOTARY